रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 2010/ज्येष्ठ 5, 1932
No. 145] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 2010/JYAISTHA 5, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2010

सं. एल-7/165(180)/2008-केंविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) (संशोधन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 13 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**13. अनुज्ञप्ति की अवधि.**—(1) पारेषण अनुज्ञप्ति, जब तक अन्यथा पहले प्रतिसंहृत न की जाए, जारी करने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

(2) यदि ऐसी पारेषण आस्ति, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति जारी की गई है, का उपयोगी जीवनकाल 25 वर्ष की अवधि के बाद विस्तारित किया जाता है तो आयोग एक और अवधि के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के प्रत्येक मामले पर गुणावगुण आधार पर विचार कर सकेगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि की समाप्ति के दो वर्ष पूर्व विनियम 7 के अनुसार आवेदन कर सकेगा :

परंतु यह कि जब अनुज्ञप्तिधारी 25 वर्ष की आरंभिक अवधि के बाद अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन नहीं करता है तो आयोग उपभोक्ता या जनता के हित को संरक्षित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगा या ऐसी स्कीमें बना सकेगा जो वह पारेषण आस्तियों के प्रचालन के लिए उसके उपयोगी जीवनकाल के शेष भाग के लिए आवश्यक समझे ।

(3) जहां पारेषण आस्तियों के टैरिफ का अवधारण अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा किया गया है वहां 25 वर्ष की अवधि के बाद ऐसी आस्तियों के टैरिफ का अवधारण उस समय लागू टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) जहां इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को अधिनियम की धारा 63 के अधीन प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर परियोजना के लिए प्रस्ताव का अनुरोध किया गया हो या परियोजनाएं दी गई हों, वहां अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि के बाद ऐसी पारेषण आस्तियों के टैरिफ का अवधारण निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा :

(i) रिटर्न ऑन ईक्विटी की संगणना के लिए, ईक्विटी आधार आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, कुल ब्लॉक के 30% या 25 वर्ष की समाप्ति पर तुलनपत्र के अनुसार परियोजना में निवेशित वास्तविक ईक्विटी, जो भी कम हो, पर होगा;

(ii) अन्य वित्तीय तथा तकनीकी संनियम, अर्थात् रिटर्न ऑन ईक्विटी, ऋण पर ब्याज, ओ एंड एम खर्चे, कार्यकरण पूंजी पर ब्याज, लक्ष्य उपलब्धता, प्रोत्साहन आदि पर उस अवधि, जिसमें अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि समाप्त हो रही हो, के दौरान अभिभावी टैरिफ के संनियमों के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(5) प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकसित किए जाने वाले सभी भावी परियोजनाओं के लिए, बोलीकर्ताओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 35 वर्ष तक टैरिफ को कोट किया जाना अपेक्षित होगा जिस पर बोली मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा: